न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 62/2020

अनवान

01. श्रीमती चन्दुबाला काबरा पत्नि श्री शंकर लाल काबरा नि.बी–28,29 बसन्स विहार भीलवाडा।
02. श्रीमति नीता राठी श्री सचिन राठी नि. डी–16 बसन्त विहार, तह.व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोदू पुत्र श्री भागु कीर नि. किरो की झोपडीया।
2. श्री भैरू पुत्र भागु कीर नि. किरो की झोपडीया।
3. श्री मांगीलाल पुत्र भागु कीर नि. किरो की झोपडीया।
4. श्री राधेश्याम पुत्र बालुलाल कीर नि. किरो की झोपडीया।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 31.08.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 309 की आ.न. 1599 रकबा 0.4086 है0, आ.न. 1600 रकबा 0.4299 है0, आ.न. 1601 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 1602 रकबा 0.2150 है0, आ.न. 1603 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 1611 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 1614 रकबा 0. 1138 है0, आ.न. 1615 रकबा 0.0885 है0, आ.न. 1616 रकबा 0.1644, आ.न. 1617/2 रकबा 0.8599 है0, आ. न. 1618/2 रकबा 0.4932 है0, कुल किता 11 रकबा 2.9590 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 309 की आ.न. 1599 रकबा 0.4086 है0, आ.न. 1600 रकबा 0.4299 है0, आ.न. 1601 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 1602 रकबा 0.2150 है0, आ.न. 1603 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 1611 रकबा 0. 0506 है0, आ.न. 1614 रकबा 0.1138 है0, आ.न. 1615 रकबा 0.0885 है0, आ.न. 1616 रकबा 0.1644, आ.न. 1617/2 रकबा 0.8599 है0, आ.न. 1618/2 रकबा 0.4932 है0, कुल किता 11 रकबा 2.9590 है0 ,भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1100/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ